



प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-ललितपुर की 20 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4729/10/छ:/विविध/द्वितीय किश्त/2020-21-वैल्यूम-1, दिनांक 05.02.2026 एवं पत्र संख्या-4730/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21-वैल्यूम-1, दिनांक 05.02.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-122/2025/500/69-1-25-1904358, दिनांक 11.03.2025 द्वारा विभिन्न जनपदों की विभिन्न निकायों की 51 परियोजनाओं हेतु **रु० 1112.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 556.175 लाख** एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-16/2024/2022/69-1-23-1769995, दिनांक 18.01.2024 द्वारा विभिन्न जनपदों की विभिन्न निकायों की 59 परियोजनाओं हेतु **रु० 819.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत अर्थात् रु० 614.325 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त जनपदों में से जनपद-ललितपुर की 20 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **कुल धनराशि रु० 138.74 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि	सेन्टेज सहित निविदा की धनराशि	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6		7
1	ललितपुर	न०पा०प० ललितपुर	वार्ड 9 मु० सिविलाईन-1 में बृजधाम डेरी के सामने	16.96	16.89	8.48	8.41

			से डब्बू शर्मा के मकान से होते हुये फौजी मारसाब के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।				
2	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं० 09 मु० सिविललाईन-1 में हंसराज कुशवाहा के मकान से पीताम्बरा किराना की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.62	21.55	10.81	10.74
3	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 9 मु0 सिविललाईन-1 में अरोरा के मकान से अनिल समेले के मकान होते हुये लितक बनोली के मकान होते हुये बिदुआ जी के मकान से राजीव जायसवाल के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	22.23	22.15	11.115	11.035
4	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 9 मु० सिविललाईन-1 में भवानी यादव के मकान से विनोद तिवारी के मकान होते हुये कल्लू यादव के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	24.77	24.72	12.385	12.335
5	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं० 09 मु० सिविललाईन-1 में आकाश यादव के मकान से पुष्पा के मकान होते हुये पार्वती के मकान होते हुये हेमंत के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	31.06	31	15.53	15.47
6	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 9 मु० सिविललाईन 1 में अखिलेश शर्मा वकील साहब के मकान से रासबिहारी दुबे के मकान होते हुये कल्याण सिंह के मकान होते हुये एस०डी०एस० कान्वेंट के पीछे तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	31.59	31.51	15.795	15.715
7	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं० 09 मु० सिविललाईन-1 में शर्मा जी डा० साहब के मकान से बिरथरे जी के मकान होते हुये पाराशर जी के मकान होते हुये तोमर जी के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	32.08	32.04	16.04	16
8	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 09 मु० सिविल लाईन-1 में पंचवटी किराना के पीछे	16.96	16.94	8.48	8.46

			वाली गली के शंभू शरण शुक्ला के मकान होते हुये आजाद यादव के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।				
9	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं0 09 में सिविललाईन-1 में एस० डी० एस० स्कूल के गेट के सामने से गजराज यादव के मकान होते हुये रास बिहारी के मकान की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	35.47	35.39	17.735	17.655
			योग	232.74	232.19	116.37	115.82
10	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 2 मु० रैदासपुर में बिरजू बाल्मीकी के मकान से कुशल बरार के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.79	6.77	5.0925	1.6775
11	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं० 01 मु० सिद्धनपुरा में रामेश्वर चौहान के मकान से रति अहिरवार के मकान होते हुस अरविन्द पाल के मकानतक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.86	6.84	5.145	1.695
12	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 16 आजादपुरा प्रथम में सोनी जी के स्वीमिंगपुल से शंकर जी के मंदिर की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.3	8.28	6.225	2.055
13	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 1 मु० सिद्धनपुरा में रोशनखा के मकान से हीरालाल रजक के मकान होते हुये मूलचन्द विश्वकर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.66	16.61	12.495	4.115
14	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं० 04 मु० गांधीनगर नई बस्ती में बाबूलाल कुशवाहा के मकान से मनीराम रजक के मकान होते हुए शमशानघाट की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.63	9.6	7.2225	2.3775
15	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड 12 मु० आजादपुरा तृतीय में देवेन्द्र पंथ के मकान से चेताराम रजक के मकान होते हुए डेम की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.73	12.68	9.5475	3.1325
16	ललितपुर	न0पा0प0 ललितपुर	वार्ड नं० 12 मु० आजादपुरा तृतीय में शीलबाबू के मकान से	10.56	10.53	7.92	2.61

			ट्रान्सफार्मर की ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।				
17	ललितपुर	न0पं0 तालबेहट	वार्ड 01 मु० अम्बेडकर नगर बरारयाना में राजकुमार बंशकार के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.83	4.81	3.6225	1.1875
18	ललितपुर	न0पं0 तालबेहट	वार्ड 01 मु० अम्बेडकर नगर बरारयाना में बललू बंशकर के मकान से हरीशंकर बंशकार के मकान होते हुए पिन्टू बंशकार के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.88	4.86	3.66	1.2
19	ललितपुर	न0पं0 तालबेहट	वार्ड 01 मु० अम्बेडकर नगर बरारयाना में पप्पू बंशकार के मकान से देवेन्द्र जैन के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.86	6.83	5.145	1.685
20	ललितपुर	न0पं0 तालबेहट	वार्ड 01 मु० अम्बेडकर नगर बरारयाना में खुशीलाल बंशकार के मकान होते हुये साजन बंशकार के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.9	4.86	3.675	1.185
			योग	93	92.67	69.75	22.92
			कुल योग	325.74	324.86	186.12	138.74

(रूपये एक करोड अड़तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा करारकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या -37 लेखा शीर्षक 2217040510400** मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **ललितपुर।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।